

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 6923/2022

मुकेश मीना पुत्र श्री प्रहलाद, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. केदार मल गुर्जर पुत्र श्री मोती लाल, निवासी भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर के माध्यम से, सवाई माधोपुर।
3. रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर जिला निर्वाचन अधिकारी, सवाई माधोपुर के माध्यम से।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री अतुल कुमार जैन
श्री विनोद कुमार तमोलिया
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री तिमन सिंह
श्री संजय मेहरिषि

माननीय श्रीमान. जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

22/01/2024

प्रकाशनीय

1. यह रिट याचिका अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सवाई माधोपुर द्वारा पारित दिनांक 01.04.2022 के आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 1 को धारा 332 और 324/34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, सवाई माधोपुर की अदालत द्वारा दिनांक 02.07.2013 के फैसले के तहत 1000/- रुपये के जुर्माने के साथ एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने सत्र न्यायाधीश, सवाई माधोपुर की अदालत के समक्ष अपील दायर करके उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी और उपरोक्त अपराधों के लिए उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया, लेकिन उसे दिनांक 07.09.2018 के फैसले के तहत परीक्षा का लाभ दिया गया। वकील ने कहा कि इन भौतिक तथ्यों को छिपाते हुए, प्रतिवादी नंबर 1 ने सरपंच, ग्राम पंचायत भगवतगढ़ पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत किया और एक आपराधिक मामले में अपनी दोषसिद्धि की प्रासंगिक जानकारी को दबा दिया। वकील ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 (संक्षेप में, "1994 का अधिनियम") की धारा 19 (जी) के तहत अयोग्यता प्राप्त है, इसलिए, वह सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं था। वकील ने कहा कि 1994 के अधिनियम की धारा 19 से जुड़ी परंतुक (ii) के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 को उसकी दोषसिद्धि की तारीख से छह साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त कथनों के आधार पर, याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर के न्यायालय में प्रतिवादी

क्रमांक 1 के निर्वाचन को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई थी, तत्पश्चात, चुनाव याचिका को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, सवाई माधोपुर के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें दलीलों के आधार पर कुल नौ मुद्दे तैयार किए गए थे, जिनमें से दो प्रारंभिक मुद्दों पर पक्षकारों की सहमति से प्रारंभ में निर्णय लिया जाना था और याचिकाकर्ता द्वारा आदेश 14 नियम 5 सीपीसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से मूल नामांकन पत्र तलब करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर उक्त आवेदन को दिनांक 09.11.2021 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी और प्रतिवादी क्रमांक 1 का मूल चुनाव नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से तलब किया गया था। वकील ने कहा कि इसके बाद मामला प्रारंभिक मुद्दों पर बहस के लिए पोस्ट किया गया और तदनुसार, पक्षों के वकील की सहमति से प्रारंभिक मुद्दे नंबर 1 और 2 पर अंतिम बहस सुनी गई और दोनों मुद्दों पर याचिकाकर्ता के खिलाफ फैसला सुनाया गया और उसके बाद, याचिकाकर्ता की पूरी चुनाव याचिका को चुनाव न्यायाधिकरण ने पैरा नंबर 17 में यह निष्कर्ष दर्ज करके खारिज कर दिया कि दोनों पक्ष अन्य शेष मुद्दों नंबर 3, 4, 5, 7, 8 और 9 के समर्थन में कोई सबूत पेश करने में विफल रहे हैं। वकील ने कहा कि न्यायाधिकरण का मानना था कि ये सभी मुद्दे तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न थे और चूंकि पक्ष उपरोक्त मुद्दों के समर्थन में कोई सबूत पेश करने में विफल रहे, इसलिए चुनाव याचिका खारिज होने योग्य है। वकील ने कहा कि प्रारंभिक मुद्दों पर बहस करने के समय याचिकाकर्ता द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई थी कि बाकी मुद्दों के लिए उनके द्वारा कोई अन्य सबूत पेश नहीं किया जाएगा वकील ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 01.04.2022 का आक्षेपित निर्णय कानून की

दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है और मामले को दोनों पक्षों के साक्ष्य लेने के बाद शेष मुद्दों, अर्थात् मुद्दा संख्या 3, 4, 5, 7, 8 और 9 पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेजने की आवश्यकता है।

2. इसके विपरीत, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रारंभिक मुद्दे नंबर 1 और 2 का फैसला किया गया था। वकील ने कहा कि चूंकि प्रारंभिक मुद्दे नंबर 1 और 2 कानूनी मुद्दे थे और याचिकाकर्ता प्रतिवादी की अयोग्यता साबित करने में विफल रहा है, अर्थात्, दोषसिद्धि जो छह साल से अधिक पहले हुई थी, इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 को सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया था। वकील ने कहा कि एक बार कानूनी मुद्दा और मुख्य मुद्दा याचिकाकर्ता के खिलाफ तय हो जाने के बाद, इस न्यायालय द्वारा किसी अन्य मुद्दे पर फैसला करने की आवश्यकता नहीं थी। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने ए कंथमणि बनाम नसरीन एडम्ड (2017) 4 एससीसी 654 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा रखा है। वकील ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण ने एक न्यायसंगत और ठोस निर्णय पारित किया है, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

3. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

4. यह तथ्य विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 1 को धारा 332 और 324/34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और

उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट- । सवाई माधोपुर की अदालत ने दिनांक 02.07.2013 के फैसले में एक साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। यह तथ्य भी विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने सत्र न्यायाधीश, सवाई माधोपुर की अदालत में अपील दायर करके उपरोक्त आदेश को चुनौती दी थी और उक्त अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और उसकी सजा बरकरार रखी गई थी, लेकिन उसे दिनांक 07.09.2018 के फैसले के तहत परीक्षा का लाभ दिया गया था। इसके बाद, उन्होंने ग्राम पंचायत भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा। याचिकाकर्ता ने दो आधार पर चुनाव याचिका को चुनौती दी

i) प्रतिवादी संख्या 1 को आपराधिक मामले में दोषसिद्धि और एक वर्ष की सजा के आधार पर अयोग्य ठहराया जा रहा है।

ii) प्रतिवादी संख्या 1 ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय अपनी दोषसिद्धि और सजा के संबंध में उपरोक्त महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया है।

5. प्रतिवादी संख्या 1 ने चुनाव याचिका पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया और कुछ विशिष्ट दलीलों के साथ चुनाव याचिका में किए गए कथनों का खंडन किया और इसमें कहा गया कि नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले छह साल की अयोग्यता अवधि समाप्त हो गई थी।

6. पार्टियों की दलीलों के आधार पर चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा नौ मुद्दे तैयार किए गए थे और पार्टियों की सहमति से, दो प्रारंभिक मुद्दों को प्रारंभिक चरण में तय करने का आदेश दिया गया था और प्रासंगिक समय पर दोनों पक्षों ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर इन मुद्दों को तय करने के लिए अपनी सहमति

दी थी और तदनुसार, न्यायाधिकरण ने केवल दो प्रारंभिक मुद्दों पर फैसला किया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में और याचिकाकर्ता के खिलाफ 01.04.2022 के फैसले के तहत मुद्दा नंबर 1 और 2 का फैसला किया और तथ्य की एक खोज दर्ज की कि छह साल की अवधि न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पारित फैसले की तारीख से गिनी जाएगी, जब शुरू में याचिकाकर्ता को धारा 324/34 और 332 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया गया था।

7. आक्षेपित निर्णय पारित करते समय, चुनाव न्यायाधिकरण ने माना कि अन्य मुद्दे, अर्थात् मुद्दा संख्या 3, 4, 5, 7, 8 और 9 तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न हैं और चूंकि दोनों पक्षों ने इन मुद्दों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए, इन मुद्दों पर योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है और चुनाव याचिका को केवल प्रारंभिक मुद्दों के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

8. अब, इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि "क्या चुनाव न्यायाधिकरण अन्य मुद्दों, अर्थात् मुद्दा संख्या 3, 4, 5, 7, 8 और 9, पर निर्णय लिए बिना चुनाव याचिका को खारिज कर सकता है"। मुख्य मुद्दा, अर्थात् मुद्दा संख्या 3, चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि "क्या प्रतिवादी संख्या 1 ने किसी आपराधिक मामले में अपनी दोषसिद्धि से संबंधित तथ्य को छिपाकर चुनाव लड़ा है और क्या ऐसा कृत्य 1994 के अधिनियम की धारा 19 के तहत अयोग्यता के बराबर है"। उपरोक्त मुद्दा और अन्य मुद्दे दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य के अभाव में अनिर्णीत रहे। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के मूल

नामांकन पत्र को तलब करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, और उक्त आवेदन को चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से मूल नामांकन पत्र तलब किया गया था। लेकिन मूल नामांकन पत्र प्राप्त होने से पहले ही मामले का निर्णय हो चुका था और चुनाव याचिका खारिज कर दी गई थी। इस न्यायालय ने न्यायाधिकरण से मूल रिकॉर्ड तलब किया और रिकॉर्ड तथा आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि किसी भी समय याचिकाकर्ता ने अन्य मुद्दों अर्थात् मुद्दा संख्या 3, 4, 5, 7, 8 और 9 के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी और विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने बिना किसी आधार के स्वयं का निष्कर्ष दर्ज किया है कि शेष सभी मुद्दे तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न हैं और दोनों पक्ष इन मुद्दों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं और तदनुसार, मुद्दा संख्या 3 और अन्य मुद्दे दोनों पक्षों के साक्ष्य के अभाव में अनिर्णीत रहे।

9. सीपीसी के आदेश XIV नियम 2 में प्रावधान है कि जब एक ही वाद में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उठते हैं, तो न्यायालय पहले विधि के मुद्दे पर विचार करके वाद का निपटारा कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए, प्रावधान विधि के उन प्रश्नों को निर्दिष्ट करता है जो (I) न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और (II) किसी भी समय प्रवृत्त विधि द्वारा वाद पर प्रतिबन्ध हैं। प्रावधान का सार नीचे दिया गया है:

“XIV (2). न्यायालय द्वारा सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाना.- (1) इस बात के होते हुए भी कि किसी मामले का निपटारा प्रारंभिक मुद्दे पर किया जा सकता है, न्यायालय उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाएगा।

(2) जहां एक ही वाद में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उठते हैं, और न्यायालय की यह राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि के मुद्दे पर किया जा सकता है, वहां वह पहले उस मुद्दे पर विचार कर सकता है यदि वह मुद्दा निम्नलिखित से संबंधित है-

(क) न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, या

(ख) किसी कानून द्वारा सृजित वाद पर रोक लगा सकती है, और उस प्रयोजन के लिए, यदि वह उचित समझे, अन्य मुद्दों के निपटारे को उस मुद्दे के निर्धारित हो जाने तक स्थगित कर सकती है, और उस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार वाद पर कार्यवाही कर सकती है।]"

10. वर्ष 1976 में सीपीसी के आदेश 14 नियम 2 के अंतर्गत निहित प्रावधानों में संशोधन के बाद, विधानमंडल द्वारा न्यायालयों पर यह दायित्व डाला गया है कि न्यायालय सभी मुद्दों पर सुनवाई करे और उन पर निर्णय सुनाए, सिवाय इसके कि न्यायालय अधिकार क्षेत्र या वाद पर विधिक रोक से संबंधित किसी मुद्दे पर प्रारंभिक मुद्दे के रूप में विचार कर सकता है। 'वह विचार कर सकता है' शब्द स्पष्ट रूप से इस तथ्य को इंगित करते हैं कि न्यायालय को विवेकाधिकार दिया गया है और न्यायालय पर यह दायित्व डाला गया है कि वह केवल प्रारंभिक मुद्दों पर ही वाद का निर्णय करे।

11. सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़ी पहली अनुसूची में सिविल न्यायालयों के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए आने वाले मामलों के संबंध में लागू की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है। यह न्याय की दासता है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने सरदार अमरजीत सिंह कालरा (मृत) बनाम प्रमोद गुप्ता (मृत) बनाम अन्य के मामले में निर्धारित किया था, जो 2003 (3) एससीसी 272 में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

"26. प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य प्रभावी ढंग से विनियमित करना, वास्तविक और सारभूत न्याय करने के उद्देश्य में सहायता करना और सहायता प्रदान करना है, न कि व्यक्तिगत, संपत्ति और अन्य कानूनों के तहत नागरिकों के सारभूत अधिकारों के गुण-दोष पर निर्णय को रोकना। प्रक्रिया को हमेशा न्याय की दासी माना गया है, न कि न्याय के उद्देश्य में बाधा डालने या न्याय की विफलता को पवित्र बनाने के लिए। सीपीसी के आदेश 22 में निहित प्रावधानों और उसके बाद के संशोधनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन इस दृष्टिकोण को पुष्ट और समर्थित करेगा कि ये प्रावधान उनकी निरंतरता और एक प्रभावी निर्णय में परिणति सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे, न कि कार्यवाही की आगे की प्रगति को बाधित करने और इस प्रकार समान रूप से स्थित अन्य लोगों को तब तक मुकदमों से मुक्त करने के लिए, जब तक कि संपत्ति या किसी भी दावे पर उनके विशिष्ट और स्वतंत्र अधिकार अक्षुण्ण रहें और कार्यवाही में किसी एक की मृत्यु के कारण हमेशा के लिए नष्ट न हो जाएँ। आदेश 22 में निहित प्रावधानों को सिद्धांत के कठोर मामले के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि न्याय प्रशासन में सुविधा के एक लचीले साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। यह तथ्य कि खाता संयुक्त कहा गया था, जब तक उनमें से प्रत्येक के पास संपत्ति में अपने स्वतंत्र, विशिष्ट और अलग-अलग हिस्से हों, जैसा कि जमाबंदी में स्वयं प्रत्येक के हिस्से के बारे में अलग-अलग उल्लेख किया गया है, तब तक इनका कोई महत्व नहीं है। हमारा यह भी मानना है कि उच्च न्यायालय को, उपशमन के प्रश्न पर अपनी धारणा के आधार पर, आवेदन दाखिल करने में हुई देरी के कारण को ध्यान में रखते हुए, पक्षकार बनाने के आवेदनों को स्वीकार कर लेना चाहिए था, क्योंकि इससे अन्य शेष अपीलकर्ताओं के अधिकारों को, उनकी बिना किसी गलती के, गुण-दोष के आधार पर प्रभावी न्यायनिर्णयन को गंभीर रूप से खतरे में डालने की संभावना थी। यदि उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर दूसरों के दावों के न्यायनिर्णयन को रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया को विफल करने के बजाय एक सकारात्मक और

रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया होता, तो न्याय के हितों की बेहतर पूर्ति होती। उपशमन, क्षमा और कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख में लाने के आवेदनों को उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार करना, मामले की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए, न्यायालय की शक्ति का न्यायोचित या युक्तिसंगत प्रयोग या वास्तविक, प्रभावी और सारभूत न्याय करने के न्यायालय के घोषित उद्देश्य के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। इस तथ्य के आलोक में कि प्रत्येक अपीलकर्ता का अपना स्वतंत्र और विशिष्ट अधिकार था, जो किसी एक या दूसरे पर निर्भर नहीं था, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलों को पूरी तरह से खारिज करना उसकी शक्तियों का उचित, तर्कसंगत या न्यायसंगत प्रयोग नहीं है। यदि यह भी मान लिया जाए कि उनका हित समान था, तो न्याय के हित में यह आवश्यक होगा कि शेष अपीलकर्ताओं को उन अन्य लोगों के लाभ के लिए अपील जारी रखने की अनुमति दी जाए, जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हैं और न ही समग्र रूप से कार्यवाही को बाधित करें और न ही अन्यो को अनुपयुक्त बनाएँ।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश बी. देसाई एवं अन्य बनाम बिपिन वाडीलाल मेहता एवं अन्य, 2006 (5) एससीसी 638 के मामले में यह निर्णय दिया कि जब किसी मुकदमे का निर्णय प्रारंभिक मुद्दों के आधार पर नहीं किया जा सकता, तो न्यायालय को शेष मुद्दों पर भी निर्णय करना चाहिए। अनुच्छेद 13 में निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:

"12. सीपीसी के आदेश XIV नियम 2 के उप-नियम (2) में प्रावधान है कि जहाँ एक ही वाद में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उठते हैं, और न्यायालय की यह राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि के मुद्दे पर किया जा सकता है, तो वह पहले उस मुद्दे पर विचार कर सकता है यदि वह मुद्दा (क) न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, या (ख) किसी वर्तमान कानून द्वारा वाद पर लगाए गए प्रतिबंध से संबंधित है। इस नियम के प्रावधान मेजर एसएस खन्ना बनाम ब्रिगेडियर एफजे डिलन एआईआर 1964 एससी

497 में इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आए, और इसे निम्नानुसार माना गया:-

"अनुच्छेद 14 नियम 2 के अंतर्गत, जहाँ एक ही वाद में विधि और तथ्य, दोनों के मुद्दे उठते हैं, और न्यायालय की यह राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि के मुद्दों पर ही किया जा सकता है, वहाँ वह पहले उन मुद्दों पर विचार करेगा, और इस प्रयोजन के लिए, यदि वह उचित समझे, तो तथ्य के मुद्दों का निपटारा विधि के मुद्दों के निर्धारण के बाद तक के लिए स्थगित कर सकता है। तथ्य के मुद्दों से भिन्न विधि के मुद्दों पर विचार करने का अधिकार केवल तभी लागू हो सकता है जब न्यायालय की राय में संपूर्ण वाद का निपटारा केवल विधि के मुद्दों पर ही किया जा सकता है, किन्तु संहिता न्यायालय को विधि और तथ्य के मिश्रित मुद्दों पर प्रारंभिक मुद्दों के रूप में वाद पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं देती। सामान्यतः किसी वाद के सभी मुद्दों पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए: ऐसा न करना, विशेष रूप से तब जब विधि के मुद्दों पर भी निर्णय तथ्य के मुद्दों के निर्णय पर निर्भर करता हो, वाद की एकतरफा सुनवाई का परिणाम होगा।"

यद्यपि संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा आदेश XIV नियम 2 सीपीसी की भाषा में थोड़ा संशोधन किया गया है, लेकिन उपर्युक्त उद्धृत निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत अभी भी मान्य है और इस सिद्धांत से कोई विचलन नहीं हो सकता है कि संहिता न्यायालय को कानून और तथ्य के मिश्रित मुद्दे पर एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं देती है और जहां कानून के मुद्दे पर निर्णय तथ्य के निर्णय पर निर्भर करता है, इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं चलाया जा सकता है।

13. अतः यह स्पष्ट है कि न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी मुद्दों पर एक साथ निर्णय लें, जब तक कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक या उप-नियम (ii) खंड (ए) और (बी) के अनुसार मुकदमे पर रोक न लग जाए।

14. यहाँ, इस मामले में, चुनाव याचिका में तथ्यों और विधि के अन्य मिश्रित प्रश्न भी शामिल हैं: क्या प्रतिवादी संख्या 1 ने आपराधिक मामले में अपनी दोषसिद्धि से संबंधित जानकारी प्रकट की या छिपाई और क्या उसका ऐसा कृत्य 1994 के अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अयोग्यता के बराबर है या नहीं। तथ्यों के इन आक्षेपित प्रश्नों का निर्णय दोनों पक्षों के साक्ष्य के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

15. उपरोक्त के मद्देनजर, यह याचिका आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। 01.04.2022 का आक्षेपित निर्णय निरस्त एवं अपास्त किया जाता है। यह मामला चुनाव न्यायाधिकरण को भेजा जाता है ताकि वह दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सभी मुद्दों पर निर्णय देने के बाद, चुनाव याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले सके। सभी पक्षों को 22.02.2024 को चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चुनाव न्यायाधिकरण चुनाव याचिका पर यथाशीघ्र, अधिमानतः, पक्षों की उपस्थिति की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर, निर्णय करेगा।

16. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

17. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चुनाव न्यायाधिकरण इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, चुनाव याचिका पर निर्णय लेगा।

(अनूप कुमार ढांड),जे

आयुष शर्मा/26

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी